संख्या:39/2018/659/छप्पन-2018-93/2017

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व पक्ष में लेखा शीर्षक "2070" "2203" तथा "3053" के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षकों के मदवार लघु इकाईयों में क्रमश: रू0 40,77,75,000/- रू0 2,23,97,000/- एवं रू0 1,55,40,00,000/- अर्थात् कुल रू0 1,98,41,72,000/- (रूपये एक अरब अट्ठानबे करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनवद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिए जहां आवश्यक हो नियमानुसार शासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 39/2018/659(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, ए0टी0आई0, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in